:: आदेश ::

अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड पुरोला ने अपने पत्र संख्या 662/पी.एम.जी.एस.वाई./सि0ख0 दिनांक 01.09.2015 के द्वारा अवगत कराया गया कि विकास खण्ड नौगांव में एन0एच0-94 खरादी नगाणगांव के कि0मी0 9.00 से बचाणगांव मोटर मार्ग हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दुगुनी सिविल सोयम भूमि 4.364 है0 भूमि हस्तान्तरण किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

उपरोक्त के सम्बन्ध में तहसीलदार बड़कोट ने अपने पत्र संख्या मेमो/र0का0/विविध जांच/2015-16 दिनांक 17.02.2016 के द्वारा अवगत कराया गया है, कि राजस्व उपनिरीक्षक चपटाड़ी से जांच करवायी गयी । जांच आख्यानुसार बचाणगांव के राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र चपटाड़ी अन्तर्गत खसरा सं0 1133 रक्वा 0.940 है0, 1229 रक्वा 0.439 है0, 1313 रक्वा 0.826 है0, 1365म0 रक्वा 0.202 है0, 2320 रक्वा 0.862 है0, 2318 रक्वा 0.559 है0 एवं 2349 रक्वा 0.518 है0 कुल रक्वा 4.346 है0 भूमि उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3) ड. में दर्ज अभिलेख है । उक्त ग्राम में प्रस्तावित भूमि के नक्शा, खसरा, उद्वरण खतौनी मय संस्तुति सहित इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है ।

शासनादेश संख्या 397/XVIII(II)/2012 दिनांक 29 फरवरी, 2012 (पताका ''स'') के अनुसार वन भूमि हस्तान्तरण के मामलों में अब उतनी भूमि दी जानी है जितनी वन भूमि योजनओं के लिए प्राप्त की जायेगी । उक्त शासनादेश में यह भी उल्लेख किया गया है, कि ऐसी योजनाओं के लिए जिनमें भारत सरकार द्वारा बर्ष 2009 के बाद सैद्वान्तिक अथवा अंतिम स्वीकृति इस शर्त के साथ निर्गत की गयी है, कि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण दोगुने अवनत गैर जमीदारी विनाश (सिविल सोयम भूमि) पर किया जाएगा तथा भारत सरकार को वर्तमान तक प्रेषित किये जा चुके ऐसे प्रस्ताव जिसमें दोगुनी अवनत वन भूमि पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की योजना के साथ वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव भेजा गया है। उनके लिये किये प्रस्ताव के अनुरूप ही दोगुनी भूमि चिन्हित व हस्तान्तरित की जाय।

अतः तहसीलदार, बड़कोट द्वारा प्राप्त प्रस्तावानुसार मौजा ग्राम बचाणगांव में उत्तराखण्ड सरकार के स्वामित्व में वर्ग-9(3)ड. खाता संख्या 19 में दर्ज खसरा संख्या 1133 रक्वा 0.940 है0, 1229 रक्वा 0.439 है0, 1313 रक्वा 0.826 है0, 1365म0 रक्वा 0.202 है0, 2320 रक्वा 0.862 है0, 2318 रक्वा 0.559 है0 एवं 2349 रक्वा 0.518 है0 कुल रक्वा 4.346 है0 सिविल सोयम भूमि राजस्व अभिलेखों में प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग बड़कोट को हस्तान्तरित/नामान्तरित किये जाने की स्वीकृति एतदद्वारा प्रदान की जाती है ।

R-K1
र0 आ0 का0 ...
तहसीलदार
बड़कोट
30/3/16

(विनय शंकर पाण्डेय)
जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

तहसीलदार,
बड़कोट ।
कृ0 आवश्यक कार्यवाही
करें ।

कार्यालय जिलाधिकारी, उत्तरकाशी ।

संख्या 2692 /ग्यारह-19 (2015-16) दिनांक 15 मार्च, 2016

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1- प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट ।

2- उप जिलाधिकारी, बड़कोट/ तहसीलदार तहसीलदार बड़कोट ।

3- अधिशासी अभियन्ता, पी.एम.जी.एस.वाई.सिचाई खण्ड पुरोला ।

उप जिलाधिकारी
बड़कोट (उत्तरकाशी)
29-3-2016

14/03/16

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।